न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

66 प्यारी देवी वगैरह बनाम साधुवा महतो वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं०–एम 51 /2018 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी सं०– 11/18 दिनांक–28-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि पूर्व से ही दोनो पक्षों में घर का पानी नाली मे पानी गिरने के कारण आपसी झगड़ा करने को लेकर उभय पक्ष मे तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 25-5-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। 7/5/18	
25-05-15	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है कि द्वितीय पक्ष क्रमांक 25/5/18	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02-11-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रमांक 03 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष अगली तिथि को जवाब दाखिल करे। दिनांक 19-11-18 को रखें। [signature] 04/11/18
19-11-18	प्रथम पक्ष अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गई। कार्य स्थगित अन्य कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 03-12-18 है।
03-12-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। इकरारनामा के 6 (छः) माह की अवधि बीत चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। [signature] 03/12/18

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:40:12 +05:30
Location: 192.168.43.107